

## Rate of Stamp Duty & Registration (For Major Articles)

क्रसं	अभिलेख	स्टाम्प ड्यूटी			पंजीयन शुल्क
1	विक्रय पत्र सामान्य स्थिति में	डीएलसी या नीलामी या आवंटन मूल्य का 6%			1%
2	लीज डीड	क्रसं	अवधि	दर	1. 30 वर्ष तक की लीज पर स्टाम्प ड्यूटी की राशि का 20% 2. 30 वर्ष से अधिक अवधि की लीज पर स्टाम्प ड्यूटी की राशि का 1%
		1	1 वर्ष से कम	0.02%	
		2	1 से 5 वर्ष	0.1%	
		3	5 से 10 वर्ष	0.5%	
		4	10 से 15 वर्ष	1%	
		5	15 से 20 वर्ष	2%	
		6	20 से 25 वर्ष	4%	
		7	25 से 30 वर्ष	4%	
		8	30 वर्ष से अधिक	6%	
3	हकत्याग	1	पैतृक सम्पत्ति के मामले में	Rs. 500/-	Rs. 500/-
		2	अन्य मामलों में	6%	1%
4	दानपत्र	1	पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन एवं पति के पक्ष में	2.5%	1%
		2	पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, पोता, पोती, दोहिता, दोहिती के पक्ष में	0%	पत्नी के पक्ष में ₹1000/-, अन्य मामलों में 1%
		3	विधवा महिला के पक्ष में उसके माता, पिता, भाई, बहन द्वारा निष्पादित	0%	1%
					1%

		4	विधवा महिला के पक्ष में उसके ससुर, सास, जेठ, ननद द्वारा निष्पादित	0%	
5	ऋण दस्तावेज	0.25%, अधिकतम 15 लाख रुपये			0.25%, अधिकतम 25 हजार रुपये
6	विभाजन डीड	1	पैतृक सम्पत्ति के मामले में	0	1%, अधिकतम 1 हजार रुपये
		2	अन्य मामलों में	6%	

अन्य प्रमुख अधिभार, शुल्क व देय राशि

**Other Main Cess, Fee & Charges**

अधिभार (सरचार्ज) (स्टाम्प ड्यूटी का 30%)			CSI (Copy, Scanning & Indexing) शुल्क
इन्फ्रा सरचार्ज	काऊ सरचार्ज	प्राकृतिक आपदा सरचार्ज	Rs 200/-300/
(10%)	(10%)	(10%)	

**वर्ग एवं योजना आधारित छूट**  
**(Rebate based on Category & Scheme)**

कसं	श्रेणी	छूट की स्थिति	
क	वर्गगत	स्टाम्प ड्यूटी में छूट	प्रभावी स्टाम्प ड्यूटी
1	महिला (सामान्य)	1%	5%
2	महिला (अनुसूचित जाति)	2%	4%
3	महिला (अनुसूचित जनजाति)	2%	4%
4	महिला (बीपीएल)	2%	4%
5	दिव्यांग	1%	5%
ख	योजनागत (प्रमुख)	स्टाम्प ड्यूटी	पंजीयन शुल्क
1	<b>RIPS- Rajasthan Investment Promotion Scheme- 2022</b>	शत-प्रतिशत छूट (75% दस्तावेज पंजीकरण पर एवं 25% वाणिज्यिक उत्पादन पर)	शत-प्रतिशत छूट (75% दस्तावेज पंजीकरण पर एवं 25% वाणिज्यिक उत्पादन पर)
2	<b>SSIPS- Social Security Investment Promotion Scheme- 2021</b>	शत-प्रतिशत छूट	शत-प्रतिशत छूट

निर्मित संपदा या भवन का उसके निर्माण काल या समयावधि अनुसार मूल्यांकन में देय मूल्यह्रास (डेप्रिसियेशन)

**(Value Depreciation of Constructed Property as per its age)**

कसं	निर्माण काल या समयावधि	मूल्यांकन में देय मूल्यह्रास (डेप्रिसियेशन)
1	10 वर्ष तक पुराना	0%
2	10 वर्ष से अधिक 20 वर्ष तक पुराना	20%
3	20 वर्ष से अधिक 35 वर्ष तक पुराना	30%
4	35 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक पुराना	40%
5	50 वर्ष से अधिक पुराना	50%